बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

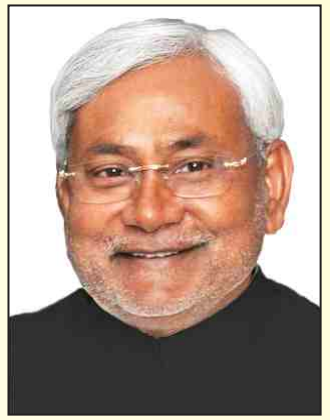

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना
निःशुल्क बकरी वितरण एवं अनुदान की योजनाएं

(वित्तीय वर्ष 2016–17)

1. **उन्नत नस्ल (ब्लैक बंगाल) के तीन प्रजनन योग्य बकरियों का नि:शुल्क वितरण।**
   - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के चयनित परिवारों के लिए।
   - योजना का कार्यान्वयन जीविका के माध्यम से।

2. **20 बकरी एवं 1 बकरा के फार्म की स्थापना पर 50% (अधिकतम 1 लाख रूपये) अनुदान की योजना।**
   - योजना इकाई – उन्नत नस्ल (ब्लैक बंगाल) के 20 बकरी एवं 1 बकरा।
   - लक्ष्य/कार्य क्षेत्र – राज्य के सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित (कार्यान्वयन अनुदेश में अंकित)।
   - अनुमानित लागत – 2 (दो) लाख रूपये।
   - बैंक ऋण/स्वलागत – आवेदक चाहे तो स्वलागत से या बैंक ऋण से बकरी फार्म स्थापित कर सकते हैं।
   - अनुदान – स्वलागत अथवा बैंक ऋण दोनों के लिए योजना लागत का 50% (अधिकतम एक लाख) प्रति इकाई, फार्म स्थापना के बाद (Back Ended)।
   - ऑनलाईन आवेदन – ऑनलाईन आवेदन हेतु विभागीय वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने मतदाता पहचान संख्या/आधार संख्या तथा अपने मोबाईल सं. से पंजीकरण करने के पश्चात् आवेदन भरकर, सभी आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो अपलोड किया जा सकता है। फार्म समर्पित करने के बाद प्राप्ति रसीद प्रिन्ट किया जा सकता है।
   - ऑफलाईन आवेदन – विभाग के वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** पर दिये गये लिंक पर जाकर आवेदन प्रपत्र एवं कार्यन्वयन अनुदेश डाउनलोड किया जा सकता है। विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन फार्म, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदक के फोटो के साथ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन के 45 दिनों के अन्दर जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त किया जा सकता है।
   - लाभूक का चयन – पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर चयन। परम्परागत बकरी पालकों, प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता।

नोट: विशेष जानकारी विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in अथवा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक
पशुपालन
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना